सबसे ज्यादा सिवनी जिले के केवलारी में रिकॉर्ड 90.44 प्रतिशत वोट डाले गए

महाकोशल की 38 सीटों पर औसत मतदान 81.49%, प्रदेश के कुल औसत से 5 ज्यादा

कपिल श्रीवास्तव | जबलपुर

प्रशासन का जागरूकता अभियान तथा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। ये मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने में सफल रहे। इसी का नतीजा रहा कि महाकोशल क्षेत्र का औसत मतदान का प्रतिशत प्रदेश के कुल औसत मतदान करीब 76 फीसदी से काफी आगे निकल गया। महाकोशल के 8 जिलों की 38 सीटों पर 81.49 फीसद औसत मतदान हुआ जो प्रदेश के कुल औसत मतदान के आंकड़े से करीब 5 फीसद ज्यादा रहा। सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा सीट पर सर्वाधिक रिकॉर्ड 90.44 फीसदी वोट डाले गये। महाकोशल के सभी 8 जिलों में 2018 की तुलना में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। सिवनी जिले में सर्वाधिक 86.68 प्रतिशत औसत मतदान हुआ। शुक्रवार को हुए मतदान के साथ महाकोशल के 8 जिलों की 38 विधानसभा सीटों पर खड़े 402 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इनके भाग्य का फैसला आगामी 3 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना के बाद परिणाम सामने आएंगे। 2023 के चुनावी रण में उतरे प्रत्याशियों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) सहित 2 केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल (नरसिंहपुर) तथा फग्गन सिंह कुलस्ते (निवास) और दो सांसद राकेश सिंह (जबलपुर पश्चिम) तथा राव उदयप्रताप (गाडरवारा) भी शामिल हैं। प्रदेश सरकार के 2 मंत्री गौरीशंकर बिसेन (बालाघाट) तथा रामकिशोर कांवरे (परसवाड़ा) समेत खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल (वारासिवनी) का भाग्य भी ईवीएम में कैद हुआ।

जानें कहां कितना हुआ मतदान

जिला	मतदान (त्व)	सबसे ज्यादा	2018 से (+/-)
जबलपुर	74.30	80.29 % सिहोरा	2.67 प्रति. ज्यादा
कटनी	75.33	81.01 % बहोरीबंद	1.33 प्रति. ज्यादा
नरसिंहपुर	84.04	86.03 % तेंदूखेड़ा	2 प्रति. ज्यादा
छिंदवाड़ा	85.05	87.88 % चौरई	1 प्रति. ज्यादा
सिवनी	86.68	90.44 % केवलारी	6 प्रति. ज्यादा
बालाघाट	85.24	86.39 % परसवाड़ा	4.64 प्रति. ज्यादा
मंडला	79.36	80.15 % निवास	1.39 प्रति. ज्यादा
डिंडोरी	82.21	83.11 % डिंडोरी	6.5 प्रति. ज्यादा
शहडोल संभाग में औसत मतदान 77.64 प्रतिशत			
शहडोल	78.93	81.33 % जयसिंहनगर	2.93 प्रति. ज्यादा
अनूपपुर	79.31	79.81 % पुष्पराजगढ़	5 प्रति. ज्यादा
उमरिया	78.20	79.33 % बांधवगढ़	6.37 प्रति. ज्यादा

करीब सवा तीन प्रतिशत वोट स्विंग हुए

महाकोशल के 8 जिलों में औसतन सवा तीन प्रतिशत वोट स्विंग हुए। डिंडोरी जिले में 2018 की तुलना में सबसे ज्यादा 6.5 प्रतिशत अधिक वोट पड़े। सिवनी में 6 तो बालाघाट में 4.64 प्रतिशत अधिक मतदान हुआ।

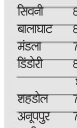

जुनून: 112 वर्ष की महिला ने किया मतदान

सिवनी। विधानसभा चुनाव के अवसर पर शुक्रवार को शहर के अकबर वार्ड निवासी 112 वर्षीय शांति पाण्डेय ने उत्पादन वन मंडल स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। उनका कहना था कि जब भी चुनाव होंगे वे मतदान करने जरूर जाएंगी।

वोटिंग के दौरान हुई तीन मौत

उज्जैन | प्रदेश में चुनाव मतदान शुक्रवार को वोट डालने के दौरान उज्जैन, हरदा व खरगोन में तीन लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पत्नी के साथ वोट डालने के बाद मतदाता की मतदान केंद्र पर ही तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। मतदाता को मतदान केंद्र पर घबराहट होने के बाद पीठासीन अधिकारी व ड्यूटीरत अन्य कर्मचारियों ने कुर्सी पर बैठाया व आँठो से अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।दोपहर में गांधीनगर में रहने वाले संजय पिता अंबारांम मालवीय 70 साल पत्नी के साथ चिमनगंज मंडी स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 55 पर पहुंचे। यहां उन्होंने मतदान किया। पीठासीन अधिकारी से वे बोले कि मुझे घबराहट पिऊर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तत्काल मालवीय को जिला अस्पताल भिजवाया लेकिन मौत हो चुकी थी। शाम को उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। परिचितों ने बताया कि 70 साल के मालवीय की कुछ दिनों से तबीयत खराब भी चल रही थी। तथा वे मंडी में ही चाय का ठेला लगाकर अपनी जीविका चलाते थे।

हरदा के धनगांव मतदान केंद्र में करंट से युवक की मौत

हरदा। जिले की हंडिया तहसील के ग्राम धनगांव की प्राथमिक शाला स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 29 में शुक्रवार को सुबह करंट लगने से सुनील कोरकू निवासी ऊंटपड़ाव की मृत्यु हो गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषि गर्ग ने मृतक के परिजनों के लिए दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता रेड क्रॉस से तत्काल स्वीकृत की। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि घटना के लिए विद्युत वितरण कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

मतदान करने गई बीमार महिला की केन्द्र के अंदर मृत्यु

खरगोन। मतदान केंद्र के अंदर मतदान के लिए जा रही एक महिला की मृत्यु हो गई। रिटर्निंग आफिसर भास्कर गाचले के अनुसार खरगोन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रूपखेड़ा के मतदान केन्द्र में मतदान के लिए आ रही 53 वर्षीय महिला लकवा से ग्रसित थी। और उसे मतदान केन्द्र मतदान के लिए लाया जा रहा था। वह कतार में नहीं लगी थी। मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर उसे चक्कर आने पर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई है।

रोड-बिजली तक नहीं, अधिकारी ईवीएम के साथ लाए जनरेटर, तब हुआ मतदान

भास्कर न्यूज़. खंडवा | खंडवा के सबसे आखिरी मतदान केंद्रों में से एक है भेरूखेड़ा। मांधाता विधानसभा सीट के नर्मदानगर क्षेत्र में आने वाला यह गांव 17 किमी अंदर घने जंगल में बसा है। इसके दोनों ओर पहाड़ियां और एक तरफ नदी है। यहां न तो बिजली है न ही रोड। चुनाव अधिकारी जब यहां पहुंचे तो वे ईवीएम मशीन के साथ जनरेटर भी लाए। जनरेटर में 23 लीटर डीजल फूंका तब मतदान हो पाया। गांव में 68 मतदाता हैं। जिनमें से शाम तक 59 वोट डाल चुके थे। गांव के सुदूर इलाकों में मतदान का जायजा लेने के लिए भास्कर टीम भेरूखेड़ा पहुंची। गांव में 22 घर हैं, जिनमें 68 मतदाता हैं। 59 लोगों ने मतदान किया, जिसमें 30 महिला व 29 पुरुष हैं। जनरेटर ऑपरेटर अंकित कक्कोड़े ने बताया कि यहां बिजली तक नहीं है। 24 घंटे में 23 लीटर डीजल जनरेटर में डाला तब वोटिंग हो पाई।

शिवपुरी: 350 ग्रामीण तैरकर मतदान करने पहुंचे

नरेंद्र शर्मा | शिवपुरी. जिले के पोहरी विस क्षेत्र के 4 गांवों (पवा, पडुआ, पचपेड़िया और कल्याणपुर गांव) के 350 लोगों का जज्बा देखिए! गांव में पुल नहीं था तो वे तैरकर या ट्यूब के सहारे सिंध नदी पार वोट देने पहुंचे। शहर से 40 किमी दूर सतनवाड़ा-नरवर रोड से सिंध नदी के दूसरी ओर रायपुर पंचायत के 15 साल से पुल की मांग कर रहे हैं। चुनाव में प्रत्याशी यहां वोट मांगने नहीं पहुंचा, पर ग्रामीणों ने अपना वोट धर्म निभाया। गांव के गिरवर गुर्जर कहते हैं कि एक प्रत्याशी ने नाव रखवाई थी, पर ग्रामीणों को लगा कि यह डूब जाएगी। इसलिए तैरकर गए।

पश्चिम मध्य रेल्वे

खुली निविदा

निम्न लिखित कार्य के ई-निविदाएं भारत संघ के राष्ट्रपति के एवं में उप मुख्य अभियंता/गति शक्ति यूनिट जबलपुर के द्वारा आमंत्रित की जाती है। **निविदा सूचना क्रमांक एवं दिनांक:** वीपीएन-जीएसयू-जबल-14-2023 दिनांक 10.11.2023। **कार्य का नाम लोकेशन सहित:** पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के जबलपुर-इटारसी खंड के एलसी नंबर 262 किमी संख्या 871/24-26 पर आरओबी का निर्माण। **कार्य का अनुमानित मूल्य:** रु.10246644/-89. **बयाना राशि:** रू. 6,62,300/- **समापन अवधि:** 24 माह। **निविदा बन्द होने अन्तिम तिथि एवं समय (15.00 बजे):** 08.12.2023. **निविदा खुलने की अन्तिम तिथि एवं समय (15.15 बजे):** 08.12.2023. उपरोक्त ई-निविदाओ की संपूर्ण जानकारी वेब साइट **http://www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। इसमें पूरी जानकारी मुख्य परियोजना प्रबंधक/गति शक्ति यूनिट जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर रखी गई है। ई-निविदा के अलावा उपरोक्त कार्य के लिए कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

उप मुख्य इंजीनियर
(गति शक्ति यूनिट) जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

भास्कर लाइव • सबसे हॉट सीट दिमनी में गांवों में पथराव-फायरिंग, हिंसक झड़पें

भागो-भागो, ठाकुर आ गए...

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर की सीट में फिल्म जैसा नजारा

शिवप्रताप सिंह जादौन | दिमनी/ मुरैना

भागो-भागो क्या हो रहा है, ये ठाकुर आ गए, ठाकुर आ गए...! चलो-चलो... ब्राह्मण आ रहे हैं। इधर ही आ रहे हैं, इन्हें रोको...। शुक्रवार को प्रदेश की सबसे चर्चित दिमनी सीट के अलग-अलग गांव में इसी तरह का शोर सुनाई दिया। ठाकुर और ब्राह्मण बाहुल्य इस सीट के कुछ गांवों में दोनों जातियों के वोटरों के बीच पथराव और फायरिंग की आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हुईं। पुलिस और बीएसएफ को लोगों के घरों की बाहर से कुंडियां लगानी पड़ीं। इन घटनाओं से पहले दोनों ओर से धमकियां भी दी गईं। क्षत्रिय समाज की ओर से कहा गया कि वोट डालने आओगे तो लातियों से पिटोगे। यदि फिर भी आओगे तो नींबू-हल्दी साथ लाना। ब्राह्मण समाज की ओर से भी चेतावनी दी गई कि वोट तो सभी डालेंगे। फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इस सीट पर भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बसपा से बलवीर दंडोतिया और कांग्रेस रवींद्र तोमर मैदान में हैं।

हाथों में डंडे व पत्थर लिए उपद्रवी।

भाजपा और बसपा ने एक-दूसरे पर लगाए हिंसा के आरोप

- बसपा व कांग्रेस प्रत्याशी हार सामने देखकर बौखला रहे हैं। इसलिए वे हिंसा पर उतारू हुए। **-नरेंद्र तोमर, भाजपा प्रत्याशी**
- भाजपा प्रत्याशी के समर्थक जगह-जगह बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। वोटरों से मारपीट की गई।

- शुक्रवार सुबह एक डीएसपी, एक इंसपेक्टर और फोर्स को मिरासन भेजा गया पर उससे पहले ही झगड़ा हो गया। **-उदयभान सिंह यादव, टीआई**

शायद ही कोई ग्राहक उठा पाता है मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड में गिरवी रखा सोना

हमारे प्रतिनिधि | जबलपुर

मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड में सोना गिरवी रखना बेहद आसान है। यदि आप एक बार सोने के एवज में लोन लेने की बात पूछने भी कंपनी के कार्यालय चले जाएँ तो फिर मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड वाले आपके पीछे पड़ जाएँगे। सारी प्रक्रिया घर आकर भी पूरी करने की बात कहेंगे और एक बार ग्राहक ने गोल्ड लोन ले लिया तो फिर उससे वसूली जा रही ब्याज की राशि पर इतने अधिक छुपे हुए चार्जेस लगाए जाएँगे कि ग्राहक अपने सोने के जेवरातों को वापस लेने की बात सपने में भी सोचना छोड़ देगा। यही मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की असलियत है। ग्राहकों ने बताया कि गोल्ड लोन लेने के बाद उनसे 1 प्रतिशत प्रोसेसिंग फीस देने कहा जाता है। अपने गहनों की जाँच-पड़ताल के लिए भी उनसे फीस ली जाती है। इसके बाद सभी चार्जेस पर 18 प्रतिशत जीएसटी शामिल होता है। देरी से ब्याज का भुगतान करने पर लेट फीस ग्राहक को देनी होती है, ये फीस ग्राहक द्वारा ली गई लोन राशि पर निर्भर करती है। वहीं जो सोना गिरवी रखा जा रहा है वो 18 से 20 कैरेट का होना चाहिए, गुणवत्ता वाले 24 कैरेट के सोने को कंपनी स्वीकार नहीं करती है।

न्यूनतम दस्तावेज पर भी गोल्ड लोन की सुविधा

मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ग्राहकों को न्यूनतम दस्तावेज पर गोल्ड लोन की सुविधा उपलब्ध कराती है। सोना लेकर फाइनेंस कंपनी पहुँचने वाले ग्राहकों को तुरंत लोन अप्रूवल की सुविधा दी जाती है। ग्राहक लोन के लिए घर बैठे ऑफिशियल वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड अपने गोल्ड लोन लेने वाले ग्राहक का कोई सिबिल स्कोर चेक नहीं करती है। इसका मतलब साफ है कि कंपनी को इससे मतलब नहीं है कि ग्राहक उनके लोन की राशि को चुका पाएगा या नहीं। उसे तो सिर्फ ग्राहक के सोने से मतलब होता है। ताकि समय आने पर फाइनेंस कंपनी ग्राहकों के सोने के जेवरातों को नीलाम कर सके। पी-3

- ग्राहकों का सोना नीलाम करने के पहले मोहलत दी जाती है। एक साल से ऊपर का समय दिया जाता है। उसके बाद सोने की विधिवत नीलामी होती है, ये कार्य पूरी तरह लीगल होता है। **रोहित सिंह,** मैनेजर, मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, रीजनल ऑफिस

सागर: तार के फंदे में फंसा तेंदुआ, वन विभाग ने रेस्क्यू किया

खुई

ललोई के गांव के पास वनविभाग की खुरई रेंज के तहत बलोथ बीट में जंगली क्षेत्र में तेंदुआ तार के फंदे में फंस गया। तार का फंदा सूअर को पकड़ने के लिए अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक्सीलेटर वायर से बनाकर लगाया गया था। शुक्रवार को लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। बाद में पन्ना टाइगर रिजर्व से शाम को रेस्क्यू टीम पहुंची। टीम ने तेंदुआ को रेस्क्यू कर वाहन में रखा। तेंदुआ पूरी तरह स्वस्थ है। तेंदुआ कहां से आया यह भी स्पष्ट नहीं है। किसानों ने बताया कि अभी खेती का काम चल रहा है। ऐसे में तेंदुआ आने से दहशत का माहौल है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इंदौर पीठ के समक्ष

सी.ए. (सीएए) नं. 3/एमपी ऑफ 2023 से जुड़ा हुआ सी.पी. (सीएए) नं. 4/एमपी ऑफ 2023 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 और 232 और कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के अन्य लागू प्रावधानों के मामले में;

और

एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय एस्सार पावर एमपी लिमिटेड, पावर प्लांट, ग्राम बंधौरा, पोस्ट करसुआलाल सिंगरौली, सिंगरौली, मध्य प्रदेश – 486886, की व्यवस्था की योजना के मामले में;
सीआईएन: U99999MP2005PLC052837 .....याचिकाकर्ता कंपनी / विघटित कंपनी

याचिका की सुनवाई की सूचना

इसके द्वारा नोटिस दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत एक कंपनी याचिका **एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी / विघटित कंपनी), एस्सार ट्रांसको लिमिटेड (परिणामी कंपनी),** और उनके संबंधित शेयरधारकों के बिच व्यवस्था की योजना की मंजूरी कि मांग कर रही याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा 19 अक्टूबर, 2023 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इंदौर बेंच **(एनसीएलटी)** के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त याचिका अब 5 जनवरी, 2024 को माननीय एनसीएलटी के समक्ष सुनवाई के लिए तय की गई है। उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता कंपनी के वकीलों को उनके नीचे दिए गए पते पर एक नोटिस भेजना चाहिए, जिस पर उसके या उसके वकील द्वारा उसके नाम और पते के साथ हस्ताक्षर किए गए हो, ताकि याचिकाकर्ता कंपनी के वकील तक उपरोक्त याचिका की सुनवाई के लिए तय की गई तारीख से 2 (दो) दिन पहले पहुंच जाए।
जहां कोई संबंधित व्यक्ति उपरोक्त याचिका का विरोध करना चाहता है, तो उसके विरोध का आधार या उस संबंध में हलफनामे की प्रति, और नोटिस के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
याचिका की एक प्रति याचिकाकर्ता कंपनी के वकील से शनिवार और रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोडकर किसी भी कार्य दिवस पर, लेकिन याचिका की सुनवाई के निर्धारित तारीख से 2 (दो) दिन पहले सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक 18 नवंबर, 2023

पता: गांधी लॉ एसोसिएट्स, 1504/5ब, 15वीं मंजिल, टावर-ए, नवरत्न कॉर्पोरेट पार्क इस्कॉन, अंबली रोड, निकट अशोक वाटिका, अहमदाबाद, गुजरात – 380058.

श्री. राहील पटेल
पार्टनर
गांधी लॉ एसोसिएट्स
याचिकाकर्ता कंपनी के वकील

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इंदौर पीठ के समक्ष

सी.ए. (सीएए) नं. 6/एमपी ऑफ 2023 से जुड़ा हुआ सी.पी. (सीएए) नं. 3/एमपी ऑफ 2023 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 और 232 और कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के अन्य लागू प्रावधानों के मामले में;

और

एस्सार ट्रांसको लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय जलसा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं 175/1, 175/1 ख., 175/5, ग्राम ताली (वैढन), जिला सिंगरौली, वैढन सिंगरौली, कोलियरी सीधी मध्य प्रदेश – 486886, में दुकान न 2 और 3 पर है, की व्यवस्था की योजना के मामले में;
सीआईएन: U40106MP2022PLC066994 .....याचिकाकर्ता कंपनी / परिणामी कंपनी

याचिका की सुनवाई की सूचना

इसके द्वारा नोटिस दिया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत एक कंपनी याचिका **एस्सार ट्रांसको लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी / परिणामी कंपनी), एस्सार पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड (विघटित कंपनी),** और उनके संबंधित शेयरधारकों के बिच व्यवस्था की योजना की मंजूरी कि मांग कर रही याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा 19 अक्टूबर, 2023 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इंदौर बेंच **(एनसीएलटी)** के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उपरोक्त याचिका अब 5 जनवरी, 2024 को माननीय एनसीएलटी के समक्ष सुनवाई के लिए तय की गई है। उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता कंपनी के वकीलों को उनके नीचे दिए गए पते पर एक नोटिस भेजना चाहिए, जिस पर उसके या उसके वकील द्वारा उसके नाम और पते के साथ हस्ताक्षर किए गए हो, ताकि याचिकाकर्ता कंपनी के वकील तक उपरोक्त याचिका की सुनवाई के लिए तय की गई तारीख से 2 (दो) दिन पहले पहुंच जाए।
जहां कोई संबंधित व्यक्ति उपरोक्त याचिका का विरोध करना चाहता है, तो उसके विरोध का आधार या उस संबंध में हलफनामे की प्रति, और नोटिस के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
याचिका की एक प्रति याचिकाकर्ता कंपनी के वकील से शनिवार और रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों को छोडकर किसी भी कार्य दिवस पर, लेकिन याचिका की सुनवाई के निर्धारित तारीख से 2 (दो) दिन पहले सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक 18 नवंबर, 2023

पता: गांधी लॉ एसोसिएट्स, 1504/5ब, 15वीं मंजिल, टावर-ए, नवरत्न कॉर्पोरेट पार्क इस्कॉन, अंबली रोड, निकट अशोक वाटिका, अहमदाबाद, गुजरात – 380058.

श्री. राहील पटेल
पार्टनर
गांधी लॉ एसोसिएट्स
याचिकाकर्ता कंपनी के वकील

epaper-bhaskarhindi-com.w16-demo.readwhere.com